शेष 50 प्रतिशत छात्रों के लिये ट्यूशन फीस 50,000 रूपये प्रति वर्ष ली जावेगी। उक्त फीस में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढोतरी की जायेगी। विभाग शुल्क निर्धारण एवं सीटों के विभाजन के संबंध में भारत सरकार / एम.सी.आई / शुल्क निर्धारण समिति / सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को की पालना किया जाना सुनिश्चित करेगी। एमबीबीएस में छात्रों का प्रवेश केन्द्रीय परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा।

यह संस्था Viability / Feasibility के आधार पर जीएनएम स्कूल, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथैरेपी प्रशिक्षण केन्द्र व अन्य प्रकार के पैरामेडिकल व मेडिकल से संबंधित प्रशिक्षण आदि के पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित कर सकेगी, परन्तु इन पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान देय नही होगा।

7. यह संस्था भविष्य में पीपीपी मॉडल के आधार पर अस्पताल एवं कॉलेज के बेहतर प्रबन्धन हेतु निजी सहभागिता हेतु प्राईवेट अस्पतालों, ट्रस्ट, निजी कम्पनियों के सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेगी। निजी सहभागिता के माध्यम से अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज का संचालन राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा।

8. राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग को सोसाईटी के गठन हेतु तथा सोसाईटी को इन 8 जिला अस्पतालों के स्वामित्व को हस्तान्तरित करने एवं कॉलेज की जमीन, जो कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम है, हस्तान्तरित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इस कार्य हेतु अब तक चिकित्सा शिक्षा द्वारा कार्य यथा- मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्यवाही, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया को आवेदन करना, सोसायटी का बैंक अकाउन्ट खोलना इत्यादि का अनुमोदन किया जाता हैं। विभाग इस सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।

(रोली सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन/शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
6. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/झालावाड।
9. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, सीकर/अलवर/भरतपुर/चूरू/डूंगरपुर/बाडमेर/पाली/भीलवाडा
10. रक्षित पत्रावली।

18/5/17

शासन उप सचिव